—::— छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन —::—

प्रधान—कार्यालय, 22, आनंद नगर, रायपुर

परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनॉक 06 फरवरी, 2009

परीक्षा दिनॉक 01 मार्च 2009

विज्ञापन

छ.ग. स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित शर्तो एवं प्रकिया अनुसार छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2009 तक आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

1. **आवेदन पत्रों की उपलब्धता :—** आवेदन पत्र का विक्रय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निम्न केन्द्रों से दिनॉक 15—01—2009 से दिनॉक 04—02—2009 तक किया जावेगा :—

क.	शहर	आवेदन पत्र विक्रय हेतु अधिकृत संस्था	फोन नं0
1.	अंबिकापुर	राजीव गांधी शासकीय पी0जी0 महाविद्यालय अंबिकापुर	07774—230921
2.	बिलासपुर	शास. पी.जी. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर	07752—228225
3	जगदलपुर	शास. पी.जी. महाविद्यालय जगदलपुर	07782—229340
4	रायपुर	शास. पी.जी. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर	0771—2427126
5	रायपुर	यूको बैंक, पेंशनबाड़ा, रायपुर	0771—2421423

2. **आवेदन शुल्क :—**

	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर क्रीमीलेयर)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु
नगद भुगतान पर	750/—	375/—
रजिस्टर्ड डाक से	800/—	425/—

रजिस्टर्ड डाक से आवेदन केवल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल कार्यालय, रायपुर से मंगाये जा सकते हैं, इस हेतु निर्धारित राशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना बैंक ड्राफ्ट जो नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पक्ष में बना हो एवं रायपुर में देय हो को संलग्न कर आवेदन भेजना आवश्यक है। ऐसे आवेदन पत्र दिनॉक 25—01—2009 तक नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी./168, टैगोर नगर, रायपुर को मिल जाना चाहिए । इसके उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. **आवेदन पत्र जमा करना :—**

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी./168, टैगोर नगर, रायपुर में दिनॉक 06—02—2009 तक भारतीय डाक सेवा विभाग की पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिये । डाक में हुए विलंब के लिये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जिम्मेदार नहीं होगा।

टीप :— प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के शुल्क नहीं लौटाये जायेंगे।

भाग—''एक''

रिक्त पदों का विवरण :—

क्र0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या				
			अनारक्षित	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	कुल
01.	उपप्रबंधक तक0	8000—13500	03	01	01	—	05
02.	तक0सहायक	4500—7000	15	5	6	4	30

नोटः—

01. उपरोक्त पदों में विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार प्रवर्गवार समस्तर आरक्षण रहेगा ।
02. भर्ती के समय रिक्त पदों की संख्या में कतिपय कारणों से कमी/वृद्धि हो सकती है ।

भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते

(01) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव :—

01. **Deputy Manager Technical (उपप्रबंधक तकनीकी) :— M.sc. (Agriculture) with Entomology or Microbiology or Bio-chemistry or M.sc. (Zoology) with Entomology with 5 years Experience in Storage, maintenance preservation and quality control of stocks of foodgrains, Agricultural Commodities, Fertilizers, Notified Commodities etc. In**

Government/Government undertaking /Commercial organization or repute and adequate knowledge of classification, grading, sampling food grains and other Commodities.

02. **Technical Assistant** (तकनीकी सहायक) :– **Degree in Agricultural or a degree in Science with Zoology, Chemistry/ Entomology as one of the Subjects with 3 years experience of quality determination of agricultural produce its storage and preservation by modern methods. The requirement of experience shall be relaxble in the case of graduates and post graduates. Who hold 1st class degree.**

(02) अन्य अर्हताएँ :–

01. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए ।
02. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
03. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(03) आयु सीमा– दिनांक 01 जनवरी 2010 को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो।

(04) उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

01. छ0ग0 शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जावेगी।
02. उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(05) अन्य शर्ते :–

01. उपरोक्त पदों पर नियुक्त अभ्यार्थियों को इस निगम में वर्तमान में प्रचलित नियमों/उपनियमों तथा भविष्य में समय–समय पर प्रभावशील संशोधित/परिवर्तित नियम/उपनियम लागू होंगे ।
02. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
03. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ रायपुर से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।
04. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तो अनुसार किसी समय भी सेवा समाप्ति की जा सकती है।
05. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिलों एवं तहसीलों में पदस्थापना दी जायेगी।
06. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
07. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद पद स्तर ग्रहण करते समय निगम द्वारा निर्धारित बांड भरने होंगे।
08. चयन के लिए प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(06) नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र :–

नियुक्ति के समय निम्नलिखित प्रमाणपत्रों और अंक सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियॉं प्रस्तुत की जानी होगी । इसके अभाव में नियुक्ति पर विचार करना संभव नही होगा और इस संबंध में विभाग/व्यापम द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा।

01. जन्म तिथि प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाणपत्र।
02. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी परीक्षाओं की अंकसूची/प्रमाण पत्र जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है।

03. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें। विवाहित महिलाओं का अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। अस्थाई जाति प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के भीतर की अवधि का ही मान्य किया जावेगा। नियुक्ति के पूर्व के समय स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

04. आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

(07) <u>नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र</u> –

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडल राज्य शासन के उपकम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपकम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अंर्तराष्ट्रीय बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सीधे व्यापम को भेज सकते हैं, परन्तु इसके पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाणपत्र सीधे विभाग को भेजने के लिए निवेदन भी कर देना चाहिए जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्त प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित नियुक्ति के समय विभाग को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात यदि विभाग को 1 माह के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विभाग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है ।

(08) <u>अपूर्ण अथवा त्रूटिपूर्ण जानकारी</u> –

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिये सभी खानों को भली प्रकार से देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरे यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, अथवा त्रूटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये उम्मीदवारी पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। आवेदन पत्र में जाति संबंधी गलत कोड भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी विभाग/व्यापम चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा ।

(09) <u>नियुक्ति हेतु चयन विधि</u> :–

1– रिक्त पदों पर चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित करेगा । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची के साथ चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी, तथा उक्त अवधि में उद्‌भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों से की जा सकेगी ।

2– समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी । जिन अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

3– अभ्यर्थियों को प्रतियोगी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना होगा । लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र दो खण्डों में विभाजित है – खण्ड 'अ' एवं खण्ड 'ब' जिसमें कमशः 100 तथा 50 अंक कुल 50 अंकों के प्रश्न पूछे जायेंगे जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

<u>खण्ड –'अ'</u>

1– सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान	– 50 अंक
2– सामान्य हिन्दी (कक्षा 12वीं स्तर तक)	– 25 अंक
3– सामान्य गणित (कक्षा 10वीं स्तर तक)	– 15 अंक
4– सामान्य अंग्रेजी (कक्षा 10वीं स्तर तक)	– 10 अंक
	कुल–100 अंक

<u>खण्ड 'ब'</u>

प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं कृषि विज्ञान से संबंधित स्नातक स्तर के कुल 50 अंको के प्रश्न पूछे जायेंगे ।

4– सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे । प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में चार विकल्प दिये होंगे जिसमें से एक ही विकल्प सहीं होगा । सही विकल्प को चुनकर **OMR** उत्तर सीट पर अंकित करना होगा ।

टीप– 01. आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के निर्धारित **OMR** प्रारूप में ही मान्य किये जायेंगे । **OMR** आवेदन के साथ किसी भी दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । नियुक्ति के समय आवेदन की पुष्टि में वांछित दस्तावेज संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

02. इस पद हेतु आयोजित परीक्षा में आपके आवेदन के आधार पर आपको सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु नियुक्ति तभी की जायेगी जब आप विज्ञापन की शर्तों एवं विभागीय नियमों के आधार पर पात्र होंगे। अतः आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कतई नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हता पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र/परीक्षा/परीक्षाफल निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

03. इस विज्ञापन के जारी होने के बाद तथा चयन परीक्षा के पूर्व यदि शासन द्वारा किसी भी अर्हता में कोई बदलाव किया जाता है तो वह सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा।

04. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी छ0ग0 शासन की वेबसाइट – www.cg.gov.in एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाइट–www.cg.vyapam.in पर भी उपलब्ध है ।

भाग –''दो''

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के निर्देश

1. **आवेदन पत्र क्रय करते समय आपको निम्न सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी :–**

1.1 आवेदन पत्र क्रय करने की रसीद (दो प्रतियों में) ।
1.2 ओ.एम.आर. आवेदन पत्र (भीतरी लिफाफे के अंदर) ।
1.3 बायोडाटा आवेदन पत्र ।
1.4 भरा हुआ ओ.एम.आर. आवेदन पत्र (नमूनार्थ), आवेदन पत्र भरने के निर्देश।
1.5 भीतरी लिफाफा (I)
1.6 बाहरी लिफाफा (O)

2. **आवेदन पत्र :–**

व्यापम द्वारा निर्धारित ओ.एम.आर. प्रारूप में ही आवेदन पत्र मान्य किया जायेगा । ओ.एम.आर. आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा फार्म भी भरकर भेजना अनिवार्य होगा। उक्त दोनों फार्म की प्रविष्टि में अंतर पाये जाने पर ओ.एम. आर. आवेदन फार्म में गोले की प्रविष्टि को ही मान्य किया जायेगा । अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं करेंगे। क्योंकि व्यापम द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच किसी भी स्तर पर नहीं की जाती है तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवेदकों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

3. **परीक्षा केन्द्र :– लिखित परीक्षा दिनॉक 01–03–2009 को सिर्फ रायपुर शहर में आयोजित की जायेगी।**

4. **मूल्यांकन पद्धति :–**

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे । उनमें से एक ही सही तथा तीन गलत होंगे । प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे । परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिये भी शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे । किसी भी स्थिति में ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जायेंगे।

5. परीक्षा में सम्मिलित होना और चयन होना दोनों अलग–अलग प्रक्रिया है । परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जावेगा जो परीक्षा आवेदन पत्र भरेंगे तथा उन्हीं की प्रावीण्य सूची के आधार पर परिणाम घोषित किया जावेगा । आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा, इसके अभाव में आपका चयन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची से चयन किया जावेगा।

6. **त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–**

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है । विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किये जा सकते हैं :–

6.1 प्रश्न की संरचना गलत हो,
6.2 उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,
6.3 कोई भी विकल्प सही न हो
6.4 सही व एक ही उत्तर स्पष्ट न हो तो,
6.5 कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो । विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किये गये प्रश्नों के लिये सभी अभ्यर्थियों को उसे प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है । भले ही उसने निरस्त किये गये प्रश्नों को हल किया गया हो या नहीं। निरस्त किये गये प्रश्नों

के लिए मूल्यांकन पद्धति निम्नानुसार होगी । यदि 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में से दो प्रश्न निरस्त किये जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी को 148 प्रश्नों में 111 अंक प्राप्त करता है तो उनके प्राप्त अंकों की गणना इस प्रकार होगी :-

$111x150/(150-2) = 112.5$, जिनके आधार पर मेरिट निर्धारित होगी।

7. **पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन :-**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा टोपोलॉजी पद्धति से किया जाता है । अतः इस परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का प्रावधान नहीं रखा गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

8. **प्रवेश पत्र :-**

समय सीमा के अन्दर प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अभ्यर्थियों को परीक्षा के लगभग 15 दिवस पूर्व परीक्षा प्रवेश पत्र TAC (Test Admit Card) डाक द्वारा प्रेषित करेगा । इसमें अभ्यर्थी की महत्वपूर्ण जानकारी यथा अभ्यर्थी का स्केन्ड फोटो ग्राफ, परीक्षा केन्द्र का नाम, रोल नंबर, श्रेणी आदि अंकित की जायेगी । अभ्यर्थी इसकी भली-भांति जांच कर लें। यदि परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित जानकारी त्रुटि पूर्ण है तो वह उसे त्रुटि सुधार हेतु तुरंत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक संशोधन करा लेवें । परीक्षा के पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा, चाहे वह त्रुटि व्यापम कार्यालय स्तर पर ही क्यों न हुई हो।

8.1 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा के लिये जारी प्रवेश पत्र वापस लेने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.2 अभ्यर्थी को परीक्षाकक्ष में परीक्षा प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

8.3 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति व्यापम के वेबसाइट www.cgvypam.in पर परीक्षा के तीन दिन पूर्व जारी कर दी जावेगी । वे अभ्यर्थी जिनको डाक द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होते हैं व्यापम की वेबसाइट से परीक्षा प्रवेश पत्र (TAC) का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं । नेट से प्राप्त परीक्षा प्रवेश पत्र से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये संबंधित केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कराना आवश्यक है । यदि किसी अभ्यर्थी को व्यापम कार्यालय द्वारा भेजा गया परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है और न ही व्यापम की वेबसाइट पर उसे जानकारी उपलब्ध होती है तो अभ्यर्थी स्वयं के दो पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ, व्यापम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की रसीद तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो कापी के साथ अपने शहर के चाहे गये परीक्षा केन्द्र पर जाकर केन्द्राध्यक्ष से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र बनवाकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं इस हेतु तथा अन्य पत्राचार हेतु **परीक्षा आवेदन फार्म व्यापम कार्यालय को भेजने से पूर्व उनकी छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें।**

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
रायपुर